न्यायालय उपखण्ड अधिकारी , अजमेर

पीठासीन अधिकारी डॉ0 आर्तिका शुक्ला आई.ए.एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या– 45/2017

श्री चंदीराम पुत्र श्री नारूमल जाति सिंधी आयु 88 साल निवासी मदाररगेट अजमेर तहसील व जिला अजमेर हाल निवासी रेम्बल रोड अजमेर तहसील व जिला अजमेर बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर तहसील व जिला अजमेर
2. अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर जरिये सचिव अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर तहसील व जिला अजमेर

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

आदेश दिनांक 25.11.2019

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष के वकिल उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 पर उभय पक्ष को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के वकिल ने आवेदन पत्र में वर्णित कथनो को अपनी बहस में बताते हुए विशेष रूप से कथन किया कि ग्राम दौराई तहसील व जिला अजमेर स्थित वर्किंग खसरा नम्बर 2627 रकबा 6–9–10 के वर्तमान खसरा नम्बर 2715 रकबा 0.52 व वर्तमान खसरा नम्बर 2716 रकबा 0.53 है । उक्त वर्णित भूमि जिसका वर्किंग जमाबंदी सम्वत 2041 के अनुसार जरिये नामान्तकरण संख्या 131 दिनांक 1.2.1992 के अनुसार आवेदनकर्ता खातेदार दर्ज है। उक्त भूमि के सन्दर्भ में श्रीमान् कलेक्टर एवं सेटलमेंट कमीशनर अजमेर द्वारा आदेश नंबर एफ 35 (10) पुर्नवास /90/146 दिनांक 16.11.1991 को आवेदनकर्ता के पक्ष में सनद जारी की गई के अनुसार आवेदनकर्ता के पक्ष में सहायक भू अभिलेख अधिकारी अजमेर के द्वारा मिशन संख्या 208/91 आदेश दिनांक 29.01.1992 के अनुसार एवं सनद के अनुसार आवेदनकर्ता के पक्ष में नामान्तकरण संख्या 131 दिनांक 1.2.1992 को स्वीकृत किया जाकर वर्किंग जमाबंदी के अनुसार आवेदनकर्ता खातेदार दर्ज है। भूप्रबन्ध अधिकारी अजमेर द्वारा वर्तमान जमाबंदी सवंत 2637 रकबआ 0–7–0 किस्म गैर खड्डा जो कि सिवायचक भूमि थी जिसे ही अप्रार्थी संख्या 2 के नाम हस्तान्तरित की गई थी परन्तु वर्तमान जमाबंदी में भू प्रबन्ध विभाग अजमेर के द्वारा सहवन से खसरा नंबर 2637 के स्थान पर खसरा नंबर 2627 रकबा 0–7–0 का अंकन गलत दर्ज किया गया आवेदन पत्र की चरण संख्या 1 में दर्शाई भूमि वर्किंग खसरा नंबर 2627 रकबा 6–9'10 किस्म बारानी 2 के वर्तमान खसरा नंबर 2715 रकबा 0.52 किस्म चाही 3 एवं वर्तमान खसरा नंबर 2716 रकबा 0.53 चाही 3 की भूमि के वर्किंग जमाबंदी सम्वत 2041 के अनुसार एवं आवेदन पत्र की चरण संख्या 3 में दर्शाये अनुसार आवेदनकर्ता खातेदार दर्ज है इस प्रकार भू–प्रबन्ध विभाग

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

अजमेर के द्वारा वर्तमान जमाबंदी में बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के गलत रूप से आवेदन पत्र की चरण संख्या 3 में दर्शाय अनुसार आवेदनकर्ता खातेदार दर्ज है इस प्रकार भू प्रबन्ध विभाग अजमेर के द्वारा वर्तमान जमाबंदी में बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के गलत रूप से आवेदन पत्र के पेरा संख्या 1 में वर्णित भूमि को सिवायचक दर्ज कर दी गई जो कि लिपिकिय त्रुटि है इस कारण वर्तमान जमाबंदी में आवेदनकर्ता के नाम आवेदन पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि का इन्द्राज वर्किंग जमाबंदी के इन्द्राज के अनुसार वर्तमान जमाबंदी में इन्द्राज दुरूस्ती करवाये जाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत है। अतः आवेदनकर्ता का उक्त आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आवेदन पत्र के पेरा संख्या 1 में वर्णित भूमि का वर्तमान जमांबदी में नामान्तकरण संख्या 131 दिनांक 01.02.1992 का इन्द्राज आवेदनकर्ता के नाम दर्ज करावे । वकिल प्रार्थी ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत राजस्व विभाग के महत्वूपूर्ण आदेश एवं परिपत्र दिनांक 13.10.1976, माननीय राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर के प्ररण तहसीलदार गिरवा बनाम भगवान व अन्य एस.बी. सिविल रिट पीटीशन नम्बर 3080/98 दिनांक 6.9.2000,, मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर स्टेट आफॅ राजस्थान बनाम उदयलाल एसबी सिविल रिट पीटीशन नम्बर 913/2015 दिनांक 24.4.2017, आरआरटी 2018 (2018)(2) पेज 1514, आरएलडब्लू 2015 (2) पेज 894 प्रस्तुत किये ।

अप्रार्थी की और से राजकीय अधिवक्ता ने अपने बहस में निवेदन किया गया कि विवादित भूमि सिवायचक दर्ज होकर राजकीय भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने से अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर को हस्तान्तरित हो जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे ।

अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से जरिये अधिवक्ता ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि वादग्रस्त आराजीयात वर्किंग खसरा नम्बर 2627 रकबा 6–9–10 बीघा जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 2715 रकबा 0.52 हैक्टर एवं 2716 रकबा 0.53 हैक्टर ग्राम दौराई में अवस्थित है जो सिवायचक आराजीयात होने से विद्वान जिला कलक्टर महोदय अजमेर के आदेश कमांक कअ/राजस्व/एफ–12(सी)()/13/292 दिनांक 27.9.2013 द्वारा अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर को आबादी विस्तार हेतु हेतु हस्तांतरित की जा चुकी है एवं वर्तमान में अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुकी है जिससे उक्त भूमि कृषि भूमि की परिभाषा में नही आने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे ।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से विवादित भूमि स्वयं प्रार्थी द्वारा स्वीकृत अभिवचनों व प्रस्तुत दस्तावेज के तहत वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज होकर

उप खण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned by CamScanner

अजमेर विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित की जाकर नामान्तकरण स्वीकृत किया जा चुका है । प्रार्थी द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया जिसमें अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर को हस्तान्तरित आदेश को सक्षम न्यायालय के समक्ष चुनौति दी गई हो साथ ही धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत मात्र सुक्ष्म पिलिकिया त्रुटि को ही दुरूस्त किया जाना सम्भव है जबकि वर्तमान प्रकरण में विवादित भूमि सिवायचक दर्ज होकर अजमेर विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित की जा चुकी है । ऐसी स्थिति में उक्त वर्णित तथ्यों एवं विधिक आधारो का निर्धारण नियमित वाद के तहत अभिवचनों एवं साक्ष के आधार पर किया जाना सम्भव है।

परिणामतः उपरोक्त विवेचन, विषलेशण अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की परिधि में नही आने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है । प्रार्थी इस सबंध में समक्ष न्यायालय में राजस्व वाद के माध्यम से ही यह अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वत्रंत है।

आदेश आज दिनांक 25.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

डॉ0 आर्तिका शुक्ला
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Artika Shukla
Date: 2019.12.06 15:30:53 IST
Reason: SelfAttested
Location: